

विज्ञप्ति


राजस्थान राज्य में स्थित समस्त राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं से सत्र 2020-21 हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निम्नांकित पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। गत सत्र 2019-20 में आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस सत्र 2020-21 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए, शालादर्पण पोर्टल पर स्वतः प्राप्त सूचना में आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhar Authentication), एवं जन आधार से लिंक बैंक सम्बन्धित सूचना को अपडेट करना अनिवार्य होगा। नवीन विद्यार्थी रिक्त आवेदन पत्र अपने विद्यालय के संस्था प्रधान से प्राप्त कर सकते हैं।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति योजना का नाम
1	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
2	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 08
3	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
4	पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 09 से 10
5	पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
6	पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग (विशेष समूह-एम.बी.सी.) छात्रवृत्ति कक्षा 06 से 10
7	सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10)
8	कारगिल युद्ध में अर्थात् 01.04.1999 एवं इसके पश्चात युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
9	प्री-कारगिल युद्धों में अर्थात् 01.04.1999 से पूर्व युद्धों में शहीद/स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति
10	भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	27.08.2020	30.09.2020
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	27.08.2020	30.09.2020

उपर्युक्त समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशानिर्देश, पात्रता एवं शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें तथा संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondary-education/en/order/Scholarship/Sch_Pre_metric.html लिंक पर उपलब्ध है।


(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर